तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/3663/2002/उदयपुर मोगा बनाम दला	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित
श्री पूर्णशंकर दशौरा, अधिवक्ता, प्रार्थीगण
श्री अजीत सिंह, अधिवक्ता अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 28.09.2018

प्रार्थीगण ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29–05–2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

आलोच्य आदेशानुसार उपखण्ड अधिकारी ने मूल वाद में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जाप्ता दीवानी को खारिज किया है।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण ने निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि विवादित आराजी के मूल खातेदार वागा जी थे वागा के चार पुत्र क्रमशः पदमा, खाना, कुबा व रोडा थे तथा तेजी व प्रार्थीगण उनके वारिसान होने से विवादित आराजी में अपना हक व अधिकार रखते है तथा मौके पर काबिज है। ऐसी स्थिति में विवादित आराजी बाबत् लम्बित वाद में प्रार्थीगण आवश्यक एवं हितबद्ध पक्षकार होने से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र बाबत् पक्षकार बनाये जाने स्वीकार योग्य था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र को सरसरी तौर पर निगराधीन निर्णय से खारिज करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/3663/2002/उदयपुर मोगा बनाम दला	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन निर्णय को निरस्त किया जाकर प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जाप्ता दीवानी का स्वीकार किया जाकर लम्बित मूल वाद में प्रतिवादीगण के रूप में पक्षकार बनाया जावे।

इसके विपरीत योग्य अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को विधिसम्मत् होना बताते हुए निगरानी को खारिज किये जाने की प्रार्थना की। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय के समक्ष साक्ष्य प्रतिवादी के स्तर पर प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जाप्ता दीवानी का प्रस्तुत कर पक्षकार बनाये जाने की प्रार्थना की गयी, जिसके साथ शपथपत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए निगराधीन निर्णय पारित किया है। उनका कथन है कि प्रार्थीगण विवादित आराजी के राजस्व अभिलेख में खातेदार के रूप में अभिलिखित नहीं है ऐसी स्थिति में इन्द्राज दुरूस्ती बाबत् प्रस्तुत वाद प्रार्थीगण को पक्षकार संयोजित नहीं किया न्यायोचित नहीं है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

पत्रावली एवं पारित निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष विवादित आराजी बाबत् वादीगण अप्रार्थीगण की ओर से घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं हर्जाने का वाद प्रस्तुत किया, जिसमें प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 14-10-1997 को जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात् विचारण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर मूल वाद में तनकीयात कायम कर वादी पक्ष की साक्ष्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/3663/2002/उदयपुर मोगा बनाम दला	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अभिलिखित की गयी। इसके उपरान्त साक्ष्य प्रतिवादीगण के स्तर पर प्रतिवादीगण के अधिवक्ता की ओर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जाप्ता दीवानी का प्रस्तुत कर प्रार्थनापत्र में उल्लेखित प्रार्थीगण को मूल वाद में प्रतिवादीगण के रूप में पक्षकार बनाये जाने की प्रार्थना की गयी। विचारण न्यायालय के समक्ष पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के साथ कोई शपथपत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में अधिवक्ता प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य प्रतिवादी के स्तर पर लम्बित मूल वाद में वर्षो उपरान्त पक्षकार बनाये जाने का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए निगराधीन विधिसम्मत् निर्णय से खारिज किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विधिसम्मत् निर्णय में निगरानी के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। परिणामतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन निर्णय की पुष्टि की जाती है। पक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबन्द किया जाता है कि वे विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.10.2018 को उपस्थित होकर मूल वाद के निर्णय में न्यायालय को सहयोग प्रदान करें। साथ ही विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वे वर्ष 1994 में प्रस्तुत मूल वाद में दिन प्रतिदिन की तारीख पेशी नियत करते हुए मूल वाद का निस्तारण अधिकतम् छः माह की अवधि में आवश्यक रूप से करें।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/3663/2002/उदयपुर मोगा बनाम दला	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को नियमानुसार भिजवाई जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मोहन लाल नेहरा)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/3663/2002/उदयपुर मोगा बनाम दला	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए